रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112021-231004
CG-DL-E-10112021-231004

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 638] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 2021/कार्तिक 19, 1943
No. 638] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2021/KARTIKA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2021

सं. 02/2021-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे)

सा.का.नि. 787(अ).——केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2017 के नियम 9 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा उक्त नियम के संचालन से, पेट्रोलियम क्रूड जो कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 2709 00 10 के अंतर्गत आती है (इसके बाद विनिर्दिष्ट माल के रूप में संदर्भित), के निर्माण या उत्पादन में लगी प्रत्येक विनिर्माण इकाई, को छूट देता है जहां ऐसे मालों के निर्माता के पास विभिन्न इकाइयों या परिसरों द्वारा निर्मित या उत्पादित विनिर्दिष्ट माल के संबंध में एक केंद्रीकृत बिलिंग या लेखा प्रणाली है जहां से ऐसी केंद्रीकृत बिलिंग या लेखाकरण किया जाता है और केवल उस इकाई या परिसर या कार्यालय को पंजीकृत करने का विकल्प है।

बशर्ते कि ऐसे पंजीकरण प्राप्त करने के बाद किसी भी अतिरिक्त परिसर में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पहले पूर्व सूचना दी जाएगी।

[फा. सं. 116/40/20-सीएक्स-3]

वरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2021

No. 02/2021-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 787(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9 of the Central Excise Rules, 2017, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby exempts from the operation of said rule, every manufacturing unit engaged in the manufacture or production of Petroleum Crude, falling under tariff heading 2709 00 10 of the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the specified goods), where the manufacturer of such goods has a centralised billing or accounting system in respect of specified goods manufactured or produced by different units or premises and opts for registering only the unit or premises or office, from where such centralised billing or accounting is done.

Provided that prior intimation shall be given before starting commercial production at any additional premises subsequent to obtaining such registration.

[F. No. 116/40/20-CX-3]

VARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.10 22:40:14 +05'30'